-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 18.11.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप वर्ष 20220 में थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में व्यक्ति गोली मारकर हत्या करने वाले 04 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई आजीवन कारावास व 10-10 हजार रुपये जुर्मानें की सजा।**

विवरण– पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान **"ऑपरेशन कन्विक्शन"** के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2020 में थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में व्यक्ति की गोली मारकर हत्या के मामले में 04 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया। गौरतलब हो कि दिनांक 23.06.2020 को थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम गुरेह के रहने वाले नीतेश सिंह ने कोतवाली देहात पर सूचना दी कि दिनांक 22.06.2020 को उनके भाई विजय सिंह उर्फ लब्बू को गांव के ही वीरेन्द्र, हर्षित, शिवपूजन व अभिषेक ने गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना पर थाना कोतवाली देहात में मु0अ0सं0 118/20 धारा 302/34 भादवि पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना निरीक्षक श्री रुकमपाल सिंह द्वारा सम्पादित की गई थी। विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था। लोक अभियोजक श्री मनोज कुमार दीक्षित व रामकुमार सिंह द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी विपुल कुमार व नीतिश कुमार तथा पैरोकार आरक्षी देवी दयाल के अथक प्रयासों से चारों अभियुक्तों को मा0 ADJ-I न्यायालय बांदा द्वारा आजीवन कारावास व 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

अभियुक्त-

1. **वीरेन्द्र उर्फ विन्दा पुत्र सुखवीर निवासी गुरेह थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।**
2. **हर्षित पुत्र वीरेन्द्र निवासी गुरेह थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।**
3. **शिवपूजन पुत्र सियाराम निवासी गुरेह थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।**
4. **अभिषेक उर्फ आशू पुत्र प्रदीप उर्फ पप्पू निवासी गुरेह थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।**

लोक अभियोजक
श्री मनोज कुमार दीक्षित

लोक अभियोजक
श्री रामकुमार सिंह

विवेचक
निरी0 श्री रुकमपाल सिंह

कोर्ट मोहर्रर
का0 विपुल यादव

कोर्ट मोहर्रर
का0 नीतीश कुमार

पैरोकार
का0 देवीदयाल